

प्रेषक

मुख्य सचिव हरियाणा सरकार।

सेवा में

हरियाणा के सभी उपायुक्त।

क्रमांक 6143-3 एस-74/

दिनांक चण्डीगढ़ 20 नवम्बर, 1974

विषय :- आई० ए० एस०/एच०सी० एस० अधिकारियों को नगरपालिका के प्रशासक के पद पर अतिरिक्त रूप में चार्ज दिया जाना --

वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट लिखने बारे।

आई० ए० एस०/एच०सी० एस० अधिकारी समय-समय पर नगरपालिकाओं के प्रशासक के पद पर लगाए जाते कहीं तो नगरपालिका का कार्य उनका मूल कार्य होता है या अकेला कार्य होता है और कहीं नगरपालिका का कार्य उन्हें अतिरिक्त तौर पर दिया जाता है। इस संबंध में यह प्रश्न उठाया गया है कि क्या नगरपालिका के कार्य की बाबत इ अधिकारियों की रिपोर्ट अलग से लिखी जानी चाहिए या जो रिपोर्टें इन अधिकारियों की बतौर उप मण्डल अधिकारी सामान्य सहायक कार्य करते हुए लिखी जाती हैं उनमें नगरपालिका के कार्य का वर्णन भी किया जाना चाहिए।

2. इस मामले पर विचार कर यह निर्णय लिया गया है कि जहां ऐसे अधिकारियों के पास नगरपालिका के पद का चार्ज अतिरिक्त तौर पर है वहां नगरपालिका के कार्य के बारे में अलग रिपोर्ट लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल उन अधिकारियों को नगरपालिका के कार्य के बारे में अलग रिपोर्ट लिखनी होगी जहां वे केवल नगरपालिका के प्रशासक के पद पर कार्य कर रहे हैं।

हस्ताक्षर

प्रेम नाथ टंडन

अवर सचिव प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

क्रमांक 6143-3 एस-74/

दिनांक चण्डीगढ़ 20-11-74

एक एक प्रति आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मण्डल को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

ह०

अवर सचिव प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

एक एक प्रति आयुक्त एवं सचिव हरियाणा सरकार, स्थानीय शासन विभाग, मन्त्री स्थानीय शासन विभाग हरियाणा को सूचनार्थ भेजी जाती है।

ह०

अवर सचिव प्रशासन,